

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/जी-15/2019/ दिनांक:-

आदेश
(प्रारूप-06)

श्रीमती ग्रेसी के. यू., नर्स-2 (सेवानिवृत्त) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर को निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2/सेवा निवृत्ति/पार्ट-2/17/658 दिनांक 06.09.2017 द्वारा विभागीय जांच लम्बित/विचाधीन मानते हुए सेवानिवृत्त किया गया था। निदेशालय के आदेश क्रमांक सीबी /एनएस/एफ-2133 /2018/1502 दिनांक 23.08.2018 के द्वारा भविष्य में सावचेत रहकर कार्य करने की चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त किया जा चुका है। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र पेन्शन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया है।

ग्रेसी के. यू., नर्स-2 के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/जी-15/2019/999

दिनांक:-22/9/19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।


(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर